पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद सं.9222/2017

में

लेटर्स पेटेंट अपील सं.894/2018

= =

सुदर्शन राम, उम्र लगभग 63 वर्ष, पिता– स्वर्गीय राम नगीना राम सी/5, साकेत बिहार, मित्र मंडल कॉलोनी, अनीसाबाद, पुलिस स्टेशन अनीसाबाद, जिला–पटना का निवासी है।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेशरैय्या भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना
3. उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना
4. विशेष कार्य अधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेशरैय्या भवन, बेली रोड, पटना
5. कोषागार अधिकारी, पटना निर्माण भवन, पटना
6. महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार, पटना बीरचंद पटेल पथ, पुलिस थाना कोतवाली,\ जिला–पटना
7. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, सचिवालय थाना, जिला–पटना

.... उत्तरदातागण

= =

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिएः	श्री रूपक कुमार,
प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ताः	श्री मणिकांत मिश्रा,
राज्य के अधिवक्ताः	श्री ललित किशोर, महाधिवक्ता
	श्रीमती प्राची पल्लवी, महाधिवक्ता के ए. सी.

= =

बिहार पेंशन नियम, **1950-43(**बी**)** बिहार पेंशन नियम, **2009-**नियम **139-** अपीलकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई-प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को दोषी पाया तथा एक वेतन वृद्धि रोकते हुए दण्ड का आदेश पारित किया गया गैर-संचयी प्रभाव से-अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया, प्राधिकरण द्वारा नियम *139, 2009* के अंतर्गत अगले दस वर्षों के लिए पेंशन का *20%* रोककर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया-अपीलकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती दी रिट-विद्वान एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी-पहले अपीलकर्ता को बिना किसी भविष्य प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोके रखने का दंड दिया गया था, उसके बाद अगले *10* वर्षों के लिए *20* प्रतिशत पेंशन रोकने का एक और आदेश दोहरा संकट होगा जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है -दोनों नियम स्वतंत्र नियम हैं और एक ही दिशा में कार्य करते हैं अलग स्थिति-पेंशन स्वीकृत करने वाला प्राधिकरण नियम, *2009* के तहत पेंशन में कटौती का आदेश पारित कर सकता है-विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई। *(*पैरा *4.01, 5.02, 8.00, 8.01)*

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री डॉ. रवि रंजन

(मौखिक न्यायाधीश)

तारीखः13–08–2018

1.00 वर्तमान अपील को स्वीकार करने का एक औपचारिक आदेश होगा।

2.00 महाधिवक्ता के ए. सी. सुश्री प्राची पल्लवी ने प्रतिवादी–राज्य की ओर से नोटिस पाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहमति से, वर्तमान अपील पर आज अंतिम सुनवाई के लिए विचार किया जाता है।

3.00 यहाँ अपीलार्थी (जिसे इसके बाद "मूल–याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा प्रस्तुत 2017 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 9222 को खारिज करते हुए, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित

निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल याचिकाकर्ता ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी है।

4.00 संक्षेप में वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैंः

4.01 यह कि याचिकाकर्ता 2018 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। विभागीय जाँच के समापन पर, याचिकाकर्ता को दोषी पाया गया और विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की एक वेतन वृद्धि को गैर–संचयी प्रभाव के साथ रोकते हुए सजा का आदेश जारी किया गया यह कि इसके बाद याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2015 पर सेवानिवृत्त हो गया यह कि इसके बाद उत्तरदाताओं द्वारा दिनांक 26.12.2016 को एक कारण–प्रदर्शन नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता से कारण बताने के लिए कहा गया था कि याचिकाकर्ता की पेंशन को अगले 10 वर्षों के लिए उसी के 20 प्रतिशत को रोकने की सीमा तक संशोधित क्यों नहीं किया जाए।याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद 15.06.2017 (विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विवादित) के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी ने अगले 10 वर्षों के लिए पेंशन का 20 प्रतिशत रोकने का आदेश पारित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। अगले 10 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत पेंशन को रोकने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2017 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 9222 के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया, जिसने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को जन्म दिया है।

5.00 श्री रूपक कुमार, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी–मूल याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए हैं और श्री ललित किशोर विद्वान महाधिवक्ता प्रतिवादी–राज्य की ओर से पेश हुए हैं।

5.01 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री रूपक कुमार ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है।

5.02 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब एक ही कदाचार/अनियमितता के लिए, याचिकाकर्ता को पहले ही भविष्य के प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई थी, उसके बाद 20 प्रतिशत पेंशन को रोकने का एक और आदेश और वह भी अगले 10 वर्षों के लिए दोहरा दंड होगा जो कानून के तहत अनुमत नहीं है।

5.03 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री रूपक कुमार ने आगे कहा कि अन्यथा भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यर्थी अधिकारियों को बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 को लागू नहीं करना चाहिए था।

5.04 यह अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री रूपक कुमार द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत पारित किया जाने वाला कथित आदेश कानून तौर पर टिकाऊ नहीं है क्योंकि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है कि पूरे सेवा जीवन को देखते हुए, यह असंतोषजनक पाया गया है जो पेंशन का 20 प्रतिशत और वह भी 10 वर्षों के लिए रोके रखने की गारंटी देता है।

5.05 उपरोक्त निवेदन करते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपील को स्वीकृत किया जाए और विवादित आदेश को रद्द करने की अनुमति दी जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ–साथ प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए याचिकाकर्ता की 20 प्रतिशत पेंशन को रोकने के लिए पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए।

6.00 प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश का समर्थन करते हुए कहा है कि बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत आदेश पारित करते समय प्राधिकरण इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि मूल याचिकाकर्ता को पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) के तहत भविष्य में प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई थी और इस तरह प्राधिकरण ने उचित रूप से माना कि उसकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई थी और इसलिए, प्राधिकरण को बिहार पेंशन नियम 1.39 के तहत आदेश पारित करने में उचित ठहराया गया था। बिहार पेंशन नियमों का नियम 139, जो इस प्रकार एक स्वतंत्र कार्यवाही है।

6.01 प्रतिवादी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी दोहरे खतरे का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है, क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 43 (बी) के तहत शक्तियां और पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत शक्तियां दोनों अलग–अलग परिस्थितियों में काम करने वाली अलग–अलग शक्तियां हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामले में भी जहां पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उस मामले में भी पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, अगर यह पाया जाता है कि कर्मचारी की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं।

6.02 उपरोक्त निवेदन करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7.00 हमने अपीलार्थी–मूल याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रूपक कुमार और प्रतिवादी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर को सुना है। हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश पर विचार और विचार किया है।

7.01 इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थिति में क्या प्राधिकरण द्वारा बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 साल की अवधि के लिए 20 प्रतिशत पेंशन रोककर रखना उचित था या नहीं? इस न्यायालय के विचार के लिए एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है, उसके बाद पेंशन नियम, 2009 के नियम 139 के तहत पारित किसी भी आदेश को दोहरा दंड कहा जा सकता है जैसा कि अपीलकर्ता–मूल याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है?

7.02 अब, जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि पहले अपीलार्थी को भविष्य के प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि को रोकने का दंड दिया गया था, पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत पारित बाद के आदेश को दोहरा खतरा कहा जा सकता है, इसमें कोई सार नहीं है। पेंशन नियमों के नियम 139 और बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि दोनों नियम स्वतंत्र नियम हैं और अलग–अलग स्थितियों में काम करते हैं। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, उस मामले में भी यदि सरकारी प्राधिकरण संतुष्ट है और यह राय है कि संबंधित कर्मचारी की सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रही है, तो प्राधिकरण पेंशन को मंजूरी देने से पेंशन में कमी का आदेश पारित किया जा सकता है, हालांकि, पेंशन नियमों के नियम 139 के खंड (सी) के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के अधीन। इसलिए, अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि पेंशन में कमी के पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत पारित बाद के आदेश को दोहरा दंड कहा जा सकता है, अस्वीकृति की आवश्यकता है।

8.00 तथापि, पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत पारित पेंशन के 20 प्रतिशत को रोकने के, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विवादित प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि इसे रद्द किया जाना चाहिए और इस आधार पर दरकिनार किया जाना चाहिए कि प्राधिकरण द्वारा कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं पूरी तरह से संतोषजनक नहीं पाई गईं। केवल एक वेतनवृद्धि को रोकने के पहले पारित आदेश के आधार पर, जिसे केवल उसी आधार पर लागू करने में सक्षम नहीं पाया गया था, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता की सेवा पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रही है। यदि राज्य की ओर से उपरोक्त निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में जहां पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही में कुछ जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया जाता है, नियम 139 के तहत शक्तियां स्वचालित रूप से ली जानी चाहिए। हमने विद्वान् महधिवक्ता से एक

विशिष्ट प्रश्न पूछा कि क्या प्रत्येक मामले में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में पहले कोई आदेश पारित किया जाता है, ऐसे सभी मामलों में नियम 139 लागू किया गया हो और किसी भी पेंशन को कम करने का आदेश दिया गया हो, विद्वान महाधिवक्ता ऐसी किसी भी शक्ति के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 को लागू करने की शर्तें, विशेष रूप से धारा 139 का खंड (बी) से न्यायालय संतुष्ट नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत पारित दिनांकित 15.06.2017 आदेश की पुष्टि करने में गलती की है। इन परिस्थितियों में, तथ्यों के आधार पर, पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत पारित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

8.01 उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। 2017 के C.W.J.C. संख्या 9222 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29/06/2018 का अचेपित निर्णय और आदेश और इसके परिणामस्वरूप बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगले 10 वर्षों के लिए पेंशन का 20 प्रतिशत रोकने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी–मूल याचिकाकर्ता सभी लाभों का हकदार होगा जैसे कि 15.06.2017 दिनांकित आदेश पारित नहीं किया गया था। वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है। कोई लागत नहीं।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश)

पी. के. पी/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।